सं. 1/4/2011 – पी एवं पी डब्ल्यू (ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

....

नई दिल्ली, दिनांक : 1 अप्रैल, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय : किसी मृतक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी की नि:सन्तान विधवा को उसके पुनर्विवाह के पश्चात् कुटुम्ब पेंशन प्रदान करने के संबंध में स्पष्टीकरण ।

पेंशन एवं पेंशनभागी कल्याण विभाग के का.ज्ञा. सं. 38/37/08 – पी एवं पीडब्ल्यू (ए) दिनांक 2.9.2008 का हवाला दिया जाता है जिसके द्वारा नियमित पेंशन/कुटुम्ब पेंशन /उपदान/पेंशन के संराशीकरण/नि:शक्तता पेंशन/एकमुश्त अनुग्रह प्रति पूर्ति इत्यादि को विनियमित उपबन्ध करने वाले छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर, सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप संशोधित किए गए थे ।

2. उक्त का.ज्ञा. के पैरा 8.6 के उपबन्धों के अनुसार किसी मृतक सरकारी कर्मचारी की नि:संतान विधवा को अपने पुनर्विवाह के बाद भी कुटुम्ब पेंशन का भुगतान इस शर्त के अध्यधीन किया जाना जारी रहेगा कि कुटुम्ब पेंशन तब बन्द हो जाएगी, जब अन्य साधनों से उसकी स्वतन्त्र आय केन्द्रीय सरकार में कुटुम्ब पेंशन हेतु नियत न्यूनतम के समान या उससे अधिक होती है ।

3. इस विभाग में विभिन्न जगहों से, ऐसे संदर्भ/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिससे यह संदेह व्यक्त किए गए हैं कि इस विभाग के का.ज्ञा. दिनांक 2.9.2009 के उपबन्ध में ऐसे मामलों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया है जहां कर्मचारी की मृत्यु 1.1.2006 से पहले हुई है तथा मृतक कर्मचारी की नि:सन्तान विधवा ने 1.1.2006 से पहले अथवा इस तिथि को या इससे पूर्व, पुनर्विवाह किया है ।

4. इस विभाग में इस मामले की जांच व्यय विभाग के परामर्श से की गई है । एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई मृतक सरकारी कर्मचारी जो 1.1.2006 से पहले दिवंगत हो गए थे, की नि:सन्तान विधवा इस तथ्य के बिना कि उसका पुनर्विवाह 1.1.2006 से पहले या इस तिथि को या उसके बाद हुआ है, छठे केन्दीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में कुटुम्ब पेंशन की पात्र होगी । ऐसे मामले में वित्तीय लाभ, हालांकि 1.1.2006 से लागू होंगे । यह, यद्यपि कुछ नियत किए गए मापदण्डों के अध्यधीन होगा, जैसा कि विधवा की सभी संसाधनों से आय केन्द्रीय सरकार में कुटुम्ब पेंशन हेतु नियत न्यूनतम के समान या उससे अधिक नहीं हो ।

5. इसे व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की सहमति से, उनके यू.ओ.सं.64/ईवी/2011 दिनांक 11.3.2011 द्वारा जारी किया जाता है ।

6. यह आदेश, जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग के कर्मचारियों पर इसके लागू होने का संबंध है, इसे भारतीय महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक के परामर्श से उनके यू.ओ.सं.50-लेखापरीक्षा (नियमावली/14-2010 दिनांक 31.3.2011 द्वारा जारी किया जा रहा है ।

(के.एस.छिब्ब)
निदेशक
दूरभाष सं. 24635979

सेवा में

सभी मंत्रालय / विभाग

प्रति:- एनआईसी, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ की का.ज्ञा. को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग साथ ही पेंशनभोगी पार्टल की वेबसाईट में 'नया क्या है ?' शीर्ष के अन्तर्गत अपलोड कर दिया जाए । स 89